<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाधाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—1073 / 2012</u> संस्थित दिनांक—31.12.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
जिला–बालाघाट (म.प्र.) 📉 ———————————————————————————————————
/ বিক্তব্ৰ //
जितू उर्फ जितेन्द्र पिता स्व. गेंदराम गौतम, उम्र–31 वर्ष,
निवासी—चक्की टोला, रूपझर, थाना रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.) ————————————————————————————————————
∕ / निर्णय / /

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक—24/02/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—11.12.2012 को रात्रि करीब सुबह 9:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अन्तर्गत फरियादी श्रीराम पारधी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, फरियादी श्रीराम को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—11.12.2012 को रात्रि करीब सुबह 9:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अन्तर्गत फरियादी श्रीराम पारधी को उसके भाई जयराम पारधी ने फोन पर बताया कि उसका जितेन्द्र से झगड़ा हो गया है, तो उसने राजेश की दुकान के सामने जाकर देखा तो आरोपी जितेन्द्र गौतम उसके भाई से लड़—झगड़ रहा था, तब वह बीच—बचाव करने गया तो लामा—झूमी में उसके बांए हाथ की उंगली में चोट लगी, जिससे उसे खून निकलने लगा। प्रार्थी ने उसे पैर में दांत से काटना बताया था। उक्त घटना को साक्षी महेन्द्र वल्के एवं उत्तम कटरे ने देखा व सुना है। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी श्रीराम पारधी ने द्वारा थाना रूपझर में आरोपी के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र रूपझर में अरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—105/12, धारा—323, 324 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध धारा—294, 506 (भाग—दो) भा.द.वि. का इजाफा किया किया गया। पुलिस द्वारा

आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 (भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी श्रीराम ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरूद्ध धारा—294, 506 भाग—दो भा.द.वि के अपराध का शमन किया गया है तथा शेष अपराध अंतर्गत धारा—324 भा.द.वि के तहत विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपी ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—11.12.2012 को रात्रि करीब सुबह 9:30 बजे आरक्षी केन्द्र रूपझर अन्तर्गत फरियादी श्रीराम को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— श्रीराम पारधी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक—10 मार्च 2013 की 9:30—10 बजे की राजेश पान सेंटर की है। उसे उसके भाई ने फोन से सूचना दी कि आरोपी जितेन्द्र गौतम उसके साथ गाली—गलौज कर रहा है, तो वह घटनास्थल पर गया। आरोपी ने उसे मादरचोद की गाली दिया था, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। आरोपी ने उसे हाथ से मारा तथा दांए पैर की जांघ में व बांए हाथ की उंगली में काट दिया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना रूपझर में की थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था और पुलिस ने उसके पूछताछ कर बयान लिखे थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे दांत से नहीं काटा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामले की पुष्टि होती है कि आरोपी ने घटना के समय उसे दांत से काटकर उपहित कारित की थी।

6— जयराम पारधी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी जितेन्द्र को जानता है। श्रीराम उसका भाई है। घटना के समय आरोपी ने उसके भाई के साथ मारपीट की एवं उसकी जांघ व हाथ की उंगली में दांत से काट दिया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था। घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है कि आहत श्रीराम को आरोपी ने दांत से काटा था। इस प्रकार साक्षी ने आहत श्रीराम को आरोपी के द्वारा दांत से काटकर उपहति कारित करने की पुष्टि की है। उत्तम कटरे (अ.सा.3) ने

भी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अपनी साक्ष्य में उक्त तथ्य की पुष्टि की है।

7— डाक्टर डी.सी. धुर्वे (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—11.12.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक कुलदीप सिंह परिहार क्रमांक—1209 थाना रूपझर के द्वारा आहत श्रीराम पारधी को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया था। जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के बांए हाथ की उंगली में खरोंच का निशान एवं बांयी जांघ में अंदर की ओर सूजन पाई थी। साक्षी ने अपने अभिमत में उक्त चोटें किसी कड़ी एवं खुरदुरी वस्तु द्वारा आना बताया था, जो 10 से 12 घंटे के भीतर की थी। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— डाक्टर महेन्द्र चौधरी (अ.सा.8) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—12.12.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में दंत चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत श्रीराम पारधी को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया था। जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के बांए हाथ की प्रथम उंगली में खरोंच का निशान एवं बांयी जांघ में अण्डाकार दांत के काटने का निशान था। साक्षी ने अपने अभिमत में बताया कि उक्त चोटें मानव के दांत द्वारा पहुंचाया जाना प्रतीत होती थी, जो उसके परीक्षण से 24 घंटे भीतर की थी, जिसे ठीक होने में 5 दिन का समय लग सकता था। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चिकित्सीय साक्षीगण की साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत श्रीराम को दांत से काटने के कारण साधारण उपहित कारित हुई थी।

9— महेन्द्र सिंह वल्के (अ.सा.5) एवं बाबूलाल (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी श्रीचंद पांचे (अ.सा.७) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—17.12.2012 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध कमांक—105/12, धारा—323,324 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा जयराम की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श डी—1 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक—17.12.12 को प्रार्थी जयराम, साक्षी श्रीराम, उत्तम, महेन्द्र एवं दिनांक—26.12.12 को साक्षी बाबूलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी जितू उर्फ जितेन्द्र को साक्षियों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—6 प्रधान आरक्षक चित्रराज बागड़े द्वारा लेख की गई है, जिन्हें वह साथ में दो वर्ष कार्य करने के कारण पहचानता है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा

की गई अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण स्वयं आहत श्रीराम (अ.सा.1) एवं घटना के चक्षुदर्शी साक्षी उत्तम (अ.सा.3), जयराम (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में एकमत में आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत श्रीराम को उंगली में दांत से काटकर उपहित कारित करने के कथन किये हैं, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। मामले में प्रस्तुत चिकित्सीय साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय आहत श्रीराम को दांत से काटने के कारण उपहित कारित हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय आरोपी ने आहत श्रीराम के द्वारा किसी प्रकार से प्रकोपन प्राप्त करने पर उक्त उपहित कारित की थी। इस कारण आरोपी को धारा 334 भा.द.वि के अंतर्गत अपवादिक परिस्थिति का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।

12— आरोपी के द्वारा आहत श्रीराम को धारदार दांत से काटकर उपहित कारित किये जाने के समय निश्चित रूप से उसका आशय उपहित कारित करने का रहा है तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त कृत्य से आहत को उपहित कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा आहत को पहुंचाई गई उपहित स्वेच्छया उपहित कारित करने की श्रेणी में आता है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी श्रीराम को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया जाता है।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

पश्चात्-

15— आरोपी जितेन्द्र गौतम व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वह वर्ष 2012 से विचारण का सामना कर रहा है, तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। अतः उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।

प्रकरण में आरोपी मामले में वर्ष 2012 से विचारण कर रहा है तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आरोपी से आहत श्रीराम के द्वारा राजीनामा किये जाने के फलस्वरूप आरोपी के विरूद्ध अन्य शमनीय अपराध का शमन किया गया है। उक्त परिस्थिति को देखते हुए यदि आरोपी को कारावास से दंडित किया जाता है तो फरियादी और आरोपी के संबंध पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा राजीनामा का औचित्य भी नहीं रह जाता है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000 / -(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उसे दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है। 17—

अारोपी प्रकरण में दिनांक 08.04.2014 से दिनांक 09.04.2014 तक 18— अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) निज्ञः जिला-जिला-स्रोतिको स्वितिको स न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट